

दिनांक 06.11.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह रावत न्यायालय में उपस्थित हैं।

पत्रावली उपस्थिति अभियुक्त हेतु नियत है। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व तिथि पर जारी गैर जमानती अधिपत्र तामील/अदम तामील आख्या सहित पत्रावली पर वापस प्राप्त नहीं है। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। न्यायहित में तिथि मुलतवी की जाती है।

पत्रावली उपस्थिति अभियुक्त हेतु दिनांक 28.11.2023 को प्रस्तुत हो।

(प्रभारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।